

केन्द्रीय बजट 2010-11: समीक्षा तथा मूल्यांकन *

इस लेख में केन्द्रीय बजट 2010-11 का एक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। बहाली की सुदृढ़ स्थिति तथा मुद्रास्फीति परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, संकट से पूर्व की अवधियों के दौरान के वृद्धि-पथ की ओर लौटने की चाह ने राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की शुरुआत की जरूरत को रेखांकित किया है। इस संदर्भ में, 2010-11 के बजट में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए मध्यावधि राजकोषीय समेकन पथ को अपनाने, राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों से नपे-तुले तरीके से अलग होने जैसे उपाय प्रारंभ किए गए हैं। 3जी की नीलामी तथा विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि जैसी एकबारगी वाली मदों के अलावा वित्तीय संकट के पिछले दो वर्षों के दौरान परोक्ष करों में की गयी कटौती को बजट में आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है और इन उपायों की 2010-11 के दौरान राजकोषीय समेकन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है। तदनुसार, 2010-11 के दौरान बजट में सभी प्रमुख घाटा संकेतकों को कम रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) तथा प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) के कार्यान्वयन के चलते मध्यावधि में राजकोषीय समेकन को समर्थन मिलेगा। मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, जिसमें प्रमुख घाटा संकेतकों के लिए रोलिंग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में निर्दिष्ट किया गया है कि 2012-13 तक राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे को कम करके क्रमशः 2.7 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत किया जाएगा।

2010-11 का केन्द्रीय बजट उस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बहाली के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे और इसने राजकोषीय समेकन के मार्ग की ओर नपे-तुले तरीके से लौटने की जरूरत को रेखांकित किया। बजट ने मध्यावधि की तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के महत्व को बनाए

* आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के केन्द्रीय वित्त प्रभाग में तैयार किया गया। यह लेख 26 फरवरी 2010 को संसद में प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट 2010-11 पर आधारित है। केन्द्रीय बजट 2009-10 पर लेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्टूबर 2009 अंक में प्रकाशित हुआ है।

रखा: (i) 9 प्रतिशत के उच्चतर वृद्धि पथ की ओर शीघ्रता से लौटा जाए तथा 'दो अंकीय वृद्धि बाधा' को पार करने का उपाय ढूंढा जाए; (ii) हाल में प्राप्त लाभों को आर्थिक वृद्धि में तब्दील करके विकास को अधिक समावेशी बनाया जाए; तथा (iii) अभिशासन के विभिन्न स्तरों में सरकारी प्रणालियों, ढांचों तथा संस्थाओं में स्थित कमियों को दूर किया जाए। केन्द्रीय बजट में अन्वयों बातों के साथ-साथ कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने, वित्तीय समावेश को व्यापक बनाने और बैंकिंग तथा वित्तीय विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, प्रशासन, अभिशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेही के क्षेत्र में सुधार करने संबंधी कई प्रस्ताव भी शामिल हैं।

राजकोषीय समेकन को साकार रूप देने के लिए बजट में राजकोषीय वर्ष 2011-12 के प्रारंभ से प्रत्यक्ष (प्रत्यक्ष कर कोड का कार्यान्वयन) तथा परोक्ष (वस्तु तथा सेवा कर) करों में सुधार के अतिरिक्त, विनिवेश को बढ़ाने, उर्वरक सब्सिडी तथा पेट्रोलियम और डीजल की मूल्य-निर्धारण नीति में सुधार लाने की घोषणा की गई है।

वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं: सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी को बढ़ाना; एक उच्च स्तरीय वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद की स्थापना; तथा वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार कमीशन की स्थापना करना। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कारोबार संपर्क मॉडल के जरिए कम आबादी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी, वित्तीय समावेशन निधि तथा माइक्रो वित्त विकास तथा इक्विटी निधि के संसाधनों को बढ़ाया जाएगा तथा निजी क्षेत्रों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएंगे।

कर संबंधी प्रस्ताव सुदृढ़ कर प्रशासन के सिद्धांतों तथा बहाली की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाए बिना कुछ हद तक राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लक्ष्य द्वारा निर्देशित हैं। कर प्रशासन के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण पर अधिक निर्भरता पर जोर देते हुए प्रत्यक्ष कर संबंधी जो प्रस्ताव किए गए हैं उनमें शामिल हैं: व्यक्तिगत आय कर के स्लैब को बढ़ाया जाना; न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर में बढ़ोतरी करते हुए घरेलू कंपनियों के अधिभार को कम किया जाना; होटलों को दी जानेवाली निवेश सहबद्ध कर छूट की सीमा को बढ़ाया जाना; आंतरिक अनुसंधान तथा विकास पर किए गए व्यय पर भारत कटौती को बढ़ाना; तथा प्रकल्पित कराधान की पण्यवार सीमा को बढ़ाया जाना।

परोक्ष कर के मोर्चे पर गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर मौलिक शुल्क की कटौती को आंशिक रूप से पुनःबहाल करने की घोषणा की गई है। दूसरी ओर, चुनिंदा कृषिगत वस्तुओं तथा संबद्ध क्षेत्रों, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, शहरी परिवहन हेतु मॉनोरैल परियोजनाओं, मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादनकर्ताओं, मेडिकल उपस्कर जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क में रियायत देने, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में छूट देने की घोषणा की गई है। सेवा कर को वर्तमान स्तर पर रखा जाएगा परंतु अधिक संख्यक सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा।

इस पृष्ठभूमि में इस लेख में केन्द्रीय बजट 2010-11 का मूल्यांकन किया गया है। खंड I में प्रमुख नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है। बजट में घोषित कर प्रस्तावों पर खंड II में चर्चा की गई है। खंड III में केंद्र सरकार के 2009-10 के संशोधित अनुमानों तथा 2010-11 के बजट अनुमानों की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति तथा अन्य पक्षों का विश्लेषण किया गया है। खंड IV में बजट का मूल्यांकन किया गया है और उसके बाद समापक टिप्पणी की गई है।

I: प्रमुख नीतिगत पहलें

केन्द्रीय बजट 2010-11 में की गई प्रमुख नीतिगत घोषणा का लक्ष्य मध्यावधि के तीन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है - (i) उच्चतर वृद्धि पथ की ओर पुनः शीघ्रता से अग्रसर होना, (ii) विकास को अधिक समावेशी बनाना, तथा (iii) विभिन्न संस्थागत स्तरों पर अभिशासन में सुधार लाना।

1.1 कृषि

समावेशी वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करते हुए सरकार चार स्तरीय रणनीति अपनाने की मंशा रखती है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, वस्तुओं की हानि को कम करना, कृषकों को ऋण समर्थन देना तथा कृषि के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं: (i) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में हरित क्रांति का विस्तार करना; (ii) 2010-11 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 'दाल तथा तेल बीज गांव' का संचालन करना तथा सूखा वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन तथा जमीन की गुणवत्ता में सुधार हेतु समेकित प्रयास करना; (iii) भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता की अत्यधिक कमी के कारण सुरक्षित भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु संग्रह किए जानेवाले अनाजों की हानि की समस्या से निपटने हेतु सप्लाई चेन नेटवर्क को सुदृढ़ करना; (iv) कृषि ऋण प्रवाह के लक्ष्य को 2009-10 के 3,25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 के दौरान 3,75,000 करोड़ रुपए करना; (v) कृषकों द्वारा ऋण की चुकौती की अवधि को 31 दिसंबर 2009 से छह महीने बढ़ाकर 30 जून 2010 करना; (vi) अल्पावधि ऋण की चुकौती अनुसूची के अनुसार करने वाले किसानों के लिए 2010-11 के लिए

ऋण सहायता को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करना; तथा (vii) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अत्याधुनिक ढांचे का विकास करना।

1.2 वित्तीय क्षेत्र सुधार

इस बजट में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र सुधार पर उल्लेखनीय रूप से बल दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा न्यूनतम 8 प्रतिशत की टियर I पूंजी के लक्ष्य को 31 मार्च 2011 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए और पूंजी प्रदान करने हेतु 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे बढ़ी हुई उधारियों के समर्थन हेतु उनके पास पूंजी का पर्याप्त आधार हो। वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा भी की गई है। इनमें शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना तथा वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार कमीशन की स्थापना करना शामिल है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कारोबार संपर्की मॉडल के जरिए कम आबादी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और निजी क्षेत्रों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि तथा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। 2010-11 में माइक्रो वित्त विकास तथा इक्विटी निधि की राशि दुगुना करके 400 करोड़ रुपए कर दी जाएगी।

1.3 बुनियादी ढांचा

बजट में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के कोटि-उन्नयन हेतु बल देते हुए ढांचागत क्षेत्र के लिए योजनागत कुल आबंटित राशि का 46 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा ढांचागत क्षेत्र के लिए आबंटित किया गया

है। वर्तमान के नेटवर्क के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु रेलवे के बजट समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। समर्पित फ्रेट कोरिडोर को समर्थन देने के लिए संबंधित क्षेत्रीय विकास हेतु दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना प्रारंभ की गई है।

1.4 ऊर्जा

बजट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाइ) के आबंटन को छोड़कर ऊर्जा क्षेत्र के योजना आबंटन को 2009-10 के 2,230 करोड़ रुपए से दुगुना करके 2010-11 में 5,130 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। कैप्टिव माइनिंग के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के योजना परिव्यय को 2009-10 के 620 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.5 समावेशी विकास

बजट में समावेशी वृद्धि के एजेंडा को सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल के प्रारूप को सार्वजनिक चर्चा हेतु शीघ्र ही रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी आबंटन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। समावेशी वृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। लक्षित हिताधिकारियों को बीमा तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

1.6 ग्रामीण विकास

सरकार के लिए ग्रामीण मूलभूत ढांचे का विकास करना उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), इंदिरा आवास योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में आबंटन को बढ़ाया गया।

1.7 माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम

माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के जीडीपी में 8 प्रतिशत का, विनिर्मित उत्पादन में 45 प्रतिशत का तथा भारत के निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है। ये 2.6 करोड़ उद्यमों के जरिए 6 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। उच्चस्तरीय कार्यबल की सिफारिशों तथा कार्य-एजेंडा के कार्यान्वयन की निगरानी माइक्रो तथा लघु उद्यम संबंधी एक उच्चस्तरीय परिषद करेगी। बजट में इस क्षेत्र का आबंटन 2009-10 के 1,794 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 2,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.8 पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

पर्यावरण के कारण होनेवाले प्रतिकूल असर तथा बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बजट में कतिपय पूर्वोपायी कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा नवोन्मेषी परियोजनाओं के निधीयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना करना शामिल है। तमिलनाडु सरकार को 200 करोड़ रुपए का एक्वायरी अनुदान, तिरुपुर में ज़िरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की स्थापना की लागत हेतु दिया जाएगा जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल क्षेत्रों को बनाए रखना है। कटाव की समस्या वाले गोवा के समुद्री तट की संरक्षा करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा स्थायी वानिकी के जरिए हरित आच्छादन को बढ़ाने के जरिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गोवा को ‘‘विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज’’ के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने

का प्रस्ताव किया गया है। बजट में मिशन गंगा 2020 के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) हेतु 2010-11 के आबंटन को दुगुना करके 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.9 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि

बजट में 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन के साथ असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह निधि बुनकरों, टोडी संग्रह करने वालों, रिक्शा चलाने वालों तथा बीड़ी कामगारों के विकास से जुड़ी योजनाओं का समर्थन करेगी।

1.10 कौशल विकास

बजट में टेक्सटाइल तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। परिणाम आधारित दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देकर निजी क्षेत्र के संसाधनों का भी दोहन किया जाएगा।

1.11 सामाजिक कल्याण

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, नशाखोरी तथा नशीले पदार्थ के अपप्रयोग से पीड़ित वर्गों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए योजना आबंटन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.12 पारदर्शिता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना

बजट में वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कानूनों को पुनः लिखने तथा उनमें सुधार लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार कमीशन गठित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इन

कानूनों को क्षेत्र की जरूरत की अनुरूप बनाया जा सके। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के महत्व को रेखांकित करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय समावेश के लिए यह एक प्रभावी प्लैटफॉर्म मुहैया कराएगा तथा लक्षित सब्सिडी भुगतानों में सहायता करेगा।

1.13 स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों का निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने तथा सार्वजनिक कार्यों की प्रभाविता में सुधार लाने के लिए सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) गठित करने की घोषणा की है। आईईओ प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा तथा इसकी जानकारी को सार्वजनिक करेगा।

1.14 भारतीय रुपए के लिए चिह्न

बजट में 2010-11 के दौरान भारतीय रुपए के लिए एक ऐसे चिह्न को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव किया गया है जो भारतीय लोकाचार तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके साथ भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो तथा जापानी येन जैसी मुद्राओं के चुनिंदा क्लब में शामिल हो जाएगा जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान होगी।

1.15 न्याय प्रदान करने तथा कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन

सभी को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने न्याय दिलाने तथा कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। तेरहवें वित्त कमीशन ने विवाद के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण सहित न्याय प्रदान करने की स्थिति में सुधार हेतु राज्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

II. कर प्रस्ताव

बहाली की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किए बिना राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की शुरुआत करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) के पथ की ओर आगे बढ़ने की दृष्टि से एक सुदृढ़ कर प्रशासन को वास्तविक रूप देने को लक्षित करके कर प्रस्ताव किए गए हैं। करदाताओं तथा कर प्रशासक के आपस में मिलने की जरूरत को कम करने तथा पद्धतियों और प्रक्रियाओं में गति लाने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रशासन संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण करने पर अधिक बल दिया जाता रहेगा। अप्रैल 2011 तक जीएसटी की शुरुआत करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के परोक्ष कर प्रशासकों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए अपने अंतरिक कार्यों की प्रक्रियाओं को नया रूप देना होगा। प्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव के कारण 2010-11 के दौरान 26,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है जबकि 2010-11 के दौरान परोक्ष करों के माध्यम से 46,500 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है। बजट में किए गए प्रमुख कर-प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

II.1 प्रत्यक्ष कर

करदाताओं को व्यक्तिगत आय कर में और राहत प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत आय कर के दायरे को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:

सारणी 1: आय कर की दरें	
कर का स्लैब	कर की दर
1	2
आय 1.6 लाख रुपए तक	कोई नहीं
आय 1.6 लाख से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक	10 प्रतिशत
आय 5 लाख रुपए से अधिक 8 लाख रुपए तक	20 प्रतिशत
आय 8 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दीर्घावधि बुनियादी ढांचा बांडों में 20,000 रुपए के अतिरिक्त निवेश पर कर छूट का प्रस्ताव किया गया है ताकि बचत को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के प्राथमिकतावाले क्षेत्र में किया जा सके। इसके अलावा, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान के लिए आय कर में छूट प्राप्त होगी।

कंपनी कर के संबंध में देशी कंपनियों के 10 प्रतिशत के हाल के अधिभार को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है। तथापि, कंपनी करदाताओं के बीच आपसी समानता को और बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को हाल के 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर बही लाभ का 18.0 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय की भारित कटौती को 150.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के मामलों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसे 125.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 175.0 प्रतिशत किया गया है। बजट में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के दो स्टार अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के नये होटलों को निवेश सहबद्ध कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है।

वैश्विक मंदी के कारण प्रभावित आवास तथा भू-संपदा क्षेत्र को एकबारगी अंतरिम राहत पहुंचाने हेतु उनके लाभ के संबंध में छूट का दावा करने के लिए लंबित परियोजनाओं को चार वर्ष के बजाय पांच वर्ष के भीतर पूरा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। आवास परियोजनाओं में दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थापनों के बिल्ट-अप क्षेत्र के मानदंड में छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है। बजट में, कटौती किए गए परंतु नियत

तिथि तक जमा न किए गए करों पर लगाए जाने वाले प्रभार को 12.0 प्रतिशत से बढ़ाकर वार्षिक 18.0 प्रतिशत किया गया है।

करदाताओं के अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए लेखा परीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक कारोबार के टर्नओवर की सीमा को कारोबार के मामले में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा पेशे के मामले में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा, अवधारित कराधान की सीमा को सभी छोटे कारोबार के 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक किया गया है।

II.2 परीक्षण कर

बजट में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर में की गई कटौती को आंशिक रूप से पुनः बहाल करने तथा सभी गैर पेट्रोलियम उत्पादों की मानक दरों में मूल्य के अनुसार 8.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। बड़ी कारों, मल्टि यूटिलिटी वाहनों तथा स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों के उत्पाद शुल्क के मूल्य आधारित घटक, जिसे प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में कम किया गया था, में 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि करके 22.0 प्रतिशत किया जा रहा है। इसमें कच्चे तेल पर स्थित 5 प्रतिशत, डीजल तथा पेट्रोल पर स्थित 7.5 प्रतिशत तथा अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों पर स्थित 10.0 प्रतिशत के मूल शुल्क को बहाल करने तथा पेट्रोल तथा डीजल प्रत्येक में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 1 रुपए की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया गया है। गैर-धूमपान वाले तंबाकू जैसे कि सुगंधित तंबाकू, नसवार तथा चबाकर लिए जाने वाले तंबाकू के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है।

II.2 (क) कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु घोषित पहलों के समर्थन में कई कर प्रस्ताव किए गए हैं: (i) खाद्यान्नों तथा चीनी की

मंडियों अथवा भंडारों में मशीनीकृत प्रबंधन प्रणाली तथा पैलेट रैकिंग प्रणाली की स्थापना हेतु 5.0 प्रतिशत का रियायती आयात शुल्क, साथ ही ऐसे उपकरणों की स्थापना तथा संचालन हेतु सेवा कर की पूरी छूट; (ii) कोल्ड स्टोरेज, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में संरक्षण तथा भंडारण हेतु फॉर्म प्री-कूलर सहित कोल्ड रूम की प्रारंभिक स्थापना तथा विस्तार के लिए सेवा कर की संपूर्ण छूट सहित 5.0 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क; (iii) शीत ताप नियंत्रित वैनो तथा ट्रकों के निर्माण के लिए आवश्यक रेफ्रिजरेशन यूनितों को सीमा शुल्क की संपूर्ण छूट दिया जाना; (iv) भारत में निर्माण न की जाने वाली कृषि से जुड़ी विशेष मशीनरी के लिए 5.0 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क; (v) कृषि में प्रयोग किए जाने वाले ट्रैलरों तथा सेमी ट्रैलरों पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट; (vi) कृषि बीज की जांच तथा प्रमाणन को सेवा कर से छूट दिया जाना; तथा (vii) अनाजों तथा दालों के रेल मार्ग से परिवहन पर सेवा कर की वर्तमान छूट के अतिरिक्त सड़क मार्ग से इनके परिवहन पर सेवा कर से छूट दिया जाना।

II.2 (ख) पर्यावरण

बजट में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की घोषणा की गयी है तथा भारत में उत्पादित कोयले पर प्रति टन पर 50 रुपए की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण लगाकर एक निधि का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरी ओर कई रियायती उपायों की घोषणा की गयी है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फोटो वोल्टैक तथा सौर ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने वाली इकाइयों की प्रारंभिक स्थापना हेतु आवश्यक मशीनरी, उपकरण, उपस्कर तथा अन्य संबंधित सहायक सामग्रियों पर 5.0 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क। इनको उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी; (ii) भू-ताप ऊर्जा के संग्रहण में उपयोग किए जाने वाले ग्राउंड सोर्स हीट पंपों पर मूल सीमा शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क की छूट; (iii) एलइडी

लाइटों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 8.0 प्रतिशत से घटाकर कॉम्पैक्ट फ्लॉरोसेंट लैंप के समान 4.0 प्रतिशत किया जा रहा है; तथा (iv) इलैक्ट्रिक कार, जो उत्पादन शुल्क से पूर्णतः मुक्त था, पर 4.0 प्रतिशत का नाममात्र का शुल्क लगाया जाएगा। तथापि, वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के अनुसार ऐसी कारों की उच्च महत्वपूर्ण पूर्ण तथा सब-एसेंबलियों पर मूल सीमा शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है तथा इन पूर्ण पर 4.0 प्रतिशत का रियायती सीवीडी भी मिलेगा।

II.2 (ग) बुनियादी ढांचा

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 'शहरी परिवहन के लिए मॉनोरेल परियोजना' को प्रोजेक्ट आयात का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है और इस पर 5.0 प्रतिशत का रियायती मूल शुल्क लगेगा।

II.2 (घ) मेडिकल क्षेत्र

बजट में सभी मेडिकल उपकरणों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क की पूरी छूट के साथ 5.00 प्रतिशत के एकसमान रियायती मूल शुल्क तथा 4.0 प्रतिशत के सीवीडी के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है।

II.2 (ङ) इंफोटेनमेंट

इंफोटेनमेंट के मल्टि सर्विस ऑपरेटरों को 'डिजिटल उच्च प्रविधि वाले' उपकरणों में निवेश को संभव बनाने के लिए ऐसी परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना हेतु इन पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट के साथ 5.0 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क पर प्रोजेक्ट आयात का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है।

II.2 (च) बहुमूल्य धातुएं

स्वर्ण और प्लैटिनम के सीमा शुल्क को 200 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा

चांदी के सीमा शुल्क को 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। तथापि, जवाहरातों की पालिश में उपयोग होने वाले मूल्यवान धातु रोडियम के सीमा शुल्क को 10.0 प्रतिशत से घटाकर 2.0 प्रतिशत किया गया है।

II.2 (छ) अन्य प्रस्ताव

कई अन्य कर प्रस्तावों में शामिल हैं: लांग पीपर के मूल सीमा शुल्क को 70.0 प्रतिशत से कम करके 30.0 प्रतिशत किया जाना; हींग के मूल सीमा शुल्क को 30.0 प्रतिशत से कटौती करके 20 प्रतिशत किया जाना; आरओ टैक्नोलॉजी आधारित वाटर फिल्टरों को छोड़कर घरेलू प्रकार के वाटर फिल्टरों के बदले जाने वाले किट के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को कम करके 4.0 प्रतिशत किया जाना; कोरोगेटेड बॉक्सों तथा कार्टूनों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 8.0 प्रतिशत से कम करके 4.0 प्रतिशत किया जाना; लेटेक्स रबड़ थ्रेड के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 8.0 प्रतिशत से कम करके 4.0 प्रतिशत किया जाना; तथा मेडिकल तथा टायलेट प्रिपेयेशन अधिनियम के अंतर्गत शामिल वस्तुओं के उत्पाद शुल्क को 16.0 प्रतिशत से कम करके 10.0 प्रतिशत किया जाना।

II.2 (ज) सेवा कर

बजट में जीडीपी की तुलना में सेवा क्षेत्र के अंशदान तथा सकल कर संग्रहण के बीच की खाई को पाटने की जरूरत को स्वीकार किए जाने पर भी जीएसटी को लागू करने की दृष्टि से सेवाओं पर कर की दर 10.0 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, कतिपय सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है जिसके ब्यौरे अलग से सूचित किए जाएंगे।

III. 2009-10 के संशोधित अनुमानों तथा 2010-11 के बजट अनुमानों में केंद्र सरकार के वित्त की प्रवृत्ति

III.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

व्यक्तिगत आय कर को छोड़कर 2009-10 के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) में सभी प्रमुख करों का सकल कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में 1.2 प्रतिशत कम रहा। 3जी की नीलामी आस्थगित होने के कारण गैर कर राजस्व में भी बजट के स्तर से 20 प्रतिशत की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां बजट के स्तर से 6.1 प्रतिशत कम रहीं। तथापि अतिरिक्त विनिवेशों के कारण गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजटीय स्तर का 5.6 गुणा उच्चतर थीं।

व्यक्तिगत आय कर को छोड़कर परोक्ष कर की पुनःबहाली के कारण सभी प्रमुख करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय बजट 2010-11 में सकल कर राजस्व में 17.9 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। बजट में कर के स्लैब को बढ़ाए जाने के कारण राजस्व की हानि होने से आय कर के संग्रहण में कमी आएगी। बजट में गैर-कर

राजस्व (एनटीआर) में 3जी की नीलामी से प्राप्त होनेवाली राशि के कारण 32.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय दर पर वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। इस प्रकार 2010-11 के दौरान 2009-10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। बजट में मुख्यतः विनिवेश में 54.1 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 49.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है (सारणी 1 तथा विवरण 1 तथा 2)।

III.2 व्यय की प्रवृत्ति

2009-10 (सं.अ.) में सकल व्यय में बजटीय स्तर से 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। तथापि योजना व्यय में 3.1 प्रतिशत की कमी आई जबकि गैर योजना व्यय में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजना व्यय में हुई कमी केंद्रीय योजना घटक में थी। इसके अलावा जहां पूंजीगत व्यय में 6.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई, वहीं राजस्व व्यय बजटीय स्तर से 1.0 प्रतिशत अधिक रहा।

2010-11 के दौरान बजट में सकल व्यय की वृद्धि दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान किया गया

सारणी 2: प्रमुख प्राप्तियां

मद	(राशि, करोड़ रुपए में)				
	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-2011 (ब.अ.)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
				2 की तुलना में 3	3 की तुलना में 4
1	2	3	4	5	6
राजस्व प्राप्तियां	6,14,497	5,77,294	6,82,212	-6.1	18.2
कर राजस्व (निवल)	4,74,218	4,65,103	5,34,094	-1.9	14.8
गैर कर राजस्व	1,40,279	1,12,191	1,48,118	-20.0	32.0
पूंजीगत प्राप्तियां	4,06,341	4,44,253	4,26,537	9.3	-4.0
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	5,345	30,212	45,129	465.2	49.4
सकल कर राजस्व	6,41,079	6,33,095	7,46,651	-1.2	17.9
कंपनी कर	2,56,725	2,55,076	3,01,331	-0.6	18.1
आय कर	1,12,850	1,24,989	1,20,566	10.8	-3.5
सीमा शुल्क	98,000	84,477	1,15,000	-13.8	36.1
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,06,477	1,02,000	1,32,000	-4.2	29.4
सेवा कर	65,000	58,000	68,000	-10.8	17.2

सारणी 3: व्यय की प्रमुख मदे

(राशि, करोड़ रुपए में)

मद	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	प्रतिशत घटबढ़	
				2 की तुलना में 3	3 की तुलना में 4
1	2	3	4	5	6
राजस्व व्यय	8,97,232	9,06,355	9,58,724	1.0	5.8
पूंजीगत व्यय	1,23,606	1,15,192	1,50,025	-6.8	30.2
कुल व्यय	1,020,838	1,021,547	1,108,749	0.1	8.5
गैर योजना					
1. ब्याज भुगतान	2,25,511	2,19,500	2,48,664	-2.7	13.3
2. राज्यों को अनुदान	48,570	46,610	46,001	-4.0	-1.3
3. ब्याज सब्सिडियां	2,601	2,719	4,416	4.5	62.4
4. उर्वरक सब्सिडी	49,980	52,980	49,981	6.0	-5.7
5. रक्षा सेवाएं	1,41,703	1,36,264	1,47,344	-3.8	8.1
कुल गैर योजना व्यय	6,95,689	7,06,371	7,35,657	1.5	4.1
योजना					
1. केन्द्रीय योजना	2,39,840	2,29,164	2,80,600	-4.5	22.4
2. राज्य तथा के.क्षे.योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	85,309	86,012	92,492	0.8	7.5
कुल योजना व्यय	3,25,149	3,15,176	3,73,092	-3.1	18.4

है और इसे पिछले वर्ष के 26.0 प्रतिशत के व्यय के स्तर से कटौती करके 4.1 प्रतिशत तक लाकर पूरा किया जाएगा। तथापि पिछले वर्ष के 14.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में योजना व्यय में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अधिकांश योजना व्यय में बढ़ोतरी केन्द्रीय योजना में होगी जबकि गैर योजना व्यय की वृद्धि में कटौती के लक्ष्य को सब्सिडियों में कटौती करके प्राप्त किया जाएगा (सारणी 3)।

ब्याज सब्सिडियों को छोड़कर सब्सिडियों के सभी घटकों में गिरावट दर्ज होगी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2009-10 के 2.1 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 1.7 प्रतिशत रह जाएगी (सारणी 4)।

III. 3 घाटा संकेतक

व्यय में अनुमान से अधिक की वृद्धि होने तथा राजस्व संग्रहण में कमी आने के चलते 2009-10 के संशोधित


सारणी 4: प्रमुख सब्सिडियां

(राशि, करोड़ रुपए में)

मद	2008-09		2009-10 सं.अ.		2010-11 ब.अ.	
	राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल सब्सिडियां	129708	2.3	131025	2.1	116224	1.7
जिसमें से:						
i. खाद्यान्न	43,751	0.8	56,002	0.9	55,578	0.8
ii. उर्वरक	76,603	1.4	52,980	0.9	49,981	0.7
iii. पेट्रोलियम	2,852	0.1	14,954	0.2	3,108	0.0
iv. ब्याज सब्सिडी	3,493	0.1	2,719	0.0	4,416	0.1
v. अन्य सब्सिडियां	3,009	0.1	4,370	0.1	3,141	0.0

अनुमानों में सभी प्रमुख घाटा संकेतकों यथा, राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) तथा प्राथमिक घाटा (पीडी) में अपने बजटीय स्तर से विकृति आई (विवरण-3)। तथापि संशोधित अनुमानों में जीडीपी को ऊंचे स्तर पर आके जाने के कारण 2009-10 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी बजटीय स्तर से मामूली रूप से कम था परंतु आरडी तथा पीडी का अनुपात उच्चतर था।

2010-11 के दौरान राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों से आंशिक रूप से निकासी के कारण सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में संख्यात्मक रूप में तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कमी आने का अनुमान है। घाटा संकेतकों में सुधार, कर की दरों में की गई कटौती को आंशिक रूप से वापस लेने के कारण परोक्ष करों के संग्रहण में बेहतरी आने, 3जी की नीलामी तथा विनिवेश की बड़ी राशि के कारण गैर-कर राजस्व की मात्रा अधिक रहने एवं गैर योजना व्यय में वृद्धि को कम किए जाने जैसे समर्थनकारी सभी कारणों के चलते आएगा। इस प्रकार आरडी, जीएफडी तथा पीडी 2009-10 (आरई) के क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 6.7 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत से 2010-11 में कम अर्थात् क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है (चार्ट 1 तथा सारणी 5)।



III.4 बाजार उधारियां

बजट में जीएफडी के स्तर को कम आके जाने के कारण 2010-11 के दौरान निवल बाजार उधारियों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आने का अनुमान किया गया है। निवल बाजार उधारियां भी कम होंगी क्योंकि 2010-11 के दौरान जीएफडी का 90.5 प्रतिशत ही इससे पूरा किया जाएगा जो 2009-10 (आरई) के दौरान के 95.2 प्रतिशत से कम है। तथापि 1,12,133 करोड़ रुपए के बाजार ऋणों तथा 41,492 करोड़ रुपए की 364-दिवसीय खजाना बिलों की चुकौती को ध्यान में रखते हुए 2010-11

सारणी 5: घाटा संकेतक

मद	(जीडीपी का प्रतिशत)				
	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़ (3-2)	घटबढ़ (4-3)
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व घाटा (3-2)	4.8	5.3	4.0	0.5	-1.3
2. राजस्व प्राप्तियां	10.5	9.4	9.8	-1.1	0.4
3. राजस्व व्यय	15.3	14.7	13.8	-0.6	-0.9
जिसमें से					
i. ब्याज भुगतान	3.9	3.6	3.6	-0.3	0.0
4. सकल राजकोषीय घाटा {5-(2+6)}	6.8	6.7	5.5	-0.1	-1.2
5. कुल व्यय	17.4	16.6	16.0	-0.8	-0.6
6. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.1	0.5	0.7	0.4	0.2
7. पूंजीगत व्यय	2.1	1.9	2.2	-0.2	0.3
8. सकल प्राथमिक घाटा (4-3i)	3.0	3.2	1.9	0.2	-1.3

में सकल बाजार उधारियों की राशि 4,98,635 करोड़ रुपए रखी गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

III.5 संसाधनों का राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में न्यागमन तथा अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यागमन की बड़ी हुई मात्रा को प्रतिबिंबित करते हुए 2010-11 में राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को अंतरित की जानेवाली निवल राशि में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी (सारणी 6)।

IV. केन्द्रीय बजट 2010-11 का मूल्यांकन

IV.1 वित्तीय सुधार तथा समेकन

बजट में 2010-11 के दौरान आरडी तथा जीएफडी को कम करके क्रमशः 4.0 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव किया गया है। मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) जिसमें रोलिंग टार्गेट के अनुसार राजकोषीय समेकन के पथ का निर्धारण किया गया

है, में निर्दिष्ट किया गया है कि 2012-13 में आरडी तथा जीएफडी को क्रमशः जीडीपी के 2.7 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाएगा (सारणी 7)।

तथापि, बजट में परिकल्पित राजकोषीय समेकन व्यय तथा प्राप्तियों की एकबारगी वाली मदों पर आश्रित है। व्यय में बकाया राशि के भुगतान तथा ऋण माफी से जुड़ी एकबारगी वाली व्यय की मदों तथा प्राप्तियों में विनिवेश और 3जी से प्राप्त राशि को छोड़ने पर आरडी में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की कमी आएगी जोकि बजट में परिकल्पित 1.3 प्रतिशत अंक की कटौती के आंकड़े से कम है। इसी प्रकार जीएफडी में 0.3 प्रतिशत अंक की कमी आएगी जोकि बजट में परिकल्पित 1.2 प्रतिशत अंक की कटौती के आंकड़े से काफी कम है (सारणी 8)। तथापि एकबारगी वाली ऐसी मदों पर निर्भरता के बिना 2013-14 तक आरडी तथा जीएफडी को कम करके क्रमशः शून्य प्रतिशत तथा 3.0 प्रतिशत करने की तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा कर पाना कठिन कार्य होगा। क्योंकि एकबारगी वाली ऐसी मदों को छोड़ने पर अगले तीन वर्षों के दौरान आरडी में हर बार लगभग 1.4 प्रतिशत अंक जबकि जीएफडी में लगभग 1.1 प्रतिशत अंक की कटौती करनी होगी।

सारणी 6: राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण

(राशि, करोड़ रुपए में)			
मद	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
करों तथा शुल्कों का राज्यों का हिस्सा	1,64,832	2,08,997	26.8
अनुदान	1,42,582	1,56,649	9.9
गैर योजना	46,610	46,001	-1.3
योजना	95,972	1,10,648	15.3
ऋण	7,913	7,252	-8.4
गैर योजना	88	89	1.1
योजना	7,825	7,163	-8.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	2,816	3,924	39.3
संसाधनों का निवल अंतरण	3,12,511	3,68,974	18.1

ऐसा प्रतीत होता है कि एमटीएफपीएस में 2012-13 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत के पूर्वानुमान को देखते हुए बजट में आरडी के आकार को कम करने में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार किया गया है। तथापि बजट में व्यय की कई ऐसी मदें हैं जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि ये स्थायी प्रकार की आस्तियों का सृजन करने की प्रकृति की हैं जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ योजना। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति कार्यनीति वक्तव्य में अंतिम परिणाम

सारणी 7: एफआरबीएम के अंतर्गत रोलिंग लक्ष्य				
(जीडीपी का प्रतिशत)				
मद	संशोधित अनुमान 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	निम्नलिखित के लिए लक्ष्य	
			2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	5.3	4.0	3.4	2.7
सकल राजकोषीय घाटा	6.7	5.5	4.8	4.1
सकल कर राजस्व	10.3	10.8	11.5	11.8
वर्ष के अंत में कुल बकाया देयताएं	51.5	51.1	50.0	48.2

टिप्पणी: 1. 'कुल बकाया देयताएं' में चालू विनिमय दरों पर बाह्य सरकारी ऋण शामिल है।
2. प्रक्षेपणों के लिए स्थिर विनिमय दर को माना गया है। 2010-11 से तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद 2010-11 तथा 2011-12 के लक्ष्यों पर विचार किया जाएगा।

पर फोकस करते हुए भारत सरकार के व्यय को अधिक व्यावहारिक तरीके से पुनः वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजस्व घाटे को कम करके राजकोषीय घाटे को कम करना अत्यधिक अपेक्षित विकल्प है, अन्यथा पूंजीगत व्यय को कम करना होगा चाहे इसे किसी भी रूप में परिभाषित किया जाए। आदर्शतः निवेश के प्रयोजन हेतु सरकारी उधारियों से संबंधित स्वर्णिम नियम के सिद्धांत का पालन करने की जरूरत है।

सारणी 8: बजट में एकबारगी वाली मदें				
मद	2009-10 (सं.अ.)		2010-11 (ब.अ.)	
	राशि (करोड़ रु.)	जीडीपी का प्रतिशत	राशि (करोड़ रु.)	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3	4	5
ऋण माफी (राजस्व व्यय)	15,000	0.24	12,000	0.17
वेतन बकाया (राजस्व व्यय)	16,643	0.27	—	—
विनिवेश (गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)	25,958	0.42	40,000	0.58
3 जी की नीलामी (गैर कर राजस्व)	—	—	35,000	0.50
राजस्व घाटा/ जीडीपी				
i) बजटीय		5.3		4.0
ii) समायोजित		4.8		4.3
सकल राजकोषीय घाटा/जीडीपी				
i) बजटीय		6.7		5.5
ii) समायोजित		6.6		6.3

तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्र के वित्त को 2014-15 तक जीडीपी के 45 प्रतिशत तक सीमित किया जाए तथा राजस्व घाटे को समाप्त किया जाए और 2013-14 तक सकल राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 3.0 प्रतिशत तक लाया जाए। सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तथा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन की यदि कोई आवश्यकता पड़ने पर उसके संबंध में अलग से विस्तृत प्रस्ताव रखा जाएगा। इस संबंध में देशी सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात को स्पष्ट रूप से कम करने को पहली बार लक्ष्य के रूप में रखा गया है तथा यह घोषणा की गयी है कि समग्र सरकारी ऋण को कम करने के लिए स्थिति के विस्तृत विश्लेषण के साथ एक खाका छह माह के अंदर तैयार किया जाएगा। तथापि, बजट में राजस्व घाटे का लक्षित स्तर 2013-14 तक राजस्व घाटे को शून्य के स्तर तक लाने की तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में काफी अधिक है।

बजट से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) तथा जीएसटी के अंतर्गत परिकल्पित कर सुधारों के जरिए आवश्यक समायोजन अगले तीन से चार वर्षों में नहीं किया जा सकेगा। एमटीएफपीएस में, इन कर सुधार संबंधी उपायों को हिसाब में लेने के बाद जीडीपी की तुलना

में वृद्धिशील सकल कर राजस्व अनुपात 2011-12 के दौरान 0.7 प्रतिशत तथा 2012-13 के दौरान 0.3 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। अतः कर सुधारों के अलावा प्राथमिकता एवं युक्तिसंगतता के साथ व्यय संबंधी सुधार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

व्यय सुधार के संबंध में बजट में सब्सिडियों में, विशेष रूप से पेट्रोलियम तथा उर्वरक सब्सिडियों के संबंध में स्पष्ट कटौती के माध्यम से गैर योजना व्यय की वृद्धि को कम करने की परिकल्पना की गई है, साथ ही, इन सब्सिडियों के बदले बांडों की जारी के जरिए किसी भी प्रकार की देयता का सृजन नहीं किया जाएगा। तथापि, जब तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ावों के अनुसार घरेलू कीमतों का समायोजन नहीं किया जाता है तब तक इन दोनों सब्सिडियों की मात्रा अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ावों पर निर्भर करेगी। यदि इन वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो यह संभावना है कि स्पष्ट सब्सिडी की राशि भी बजट में निर्धारित राशि से अधिक हो जाएगी।

राजस्व पक्ष में, बजट में सकल कर राजस्व में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया है। बजट में जीडीपी में 12.5 प्रतिशत की सांकेतिक वृद्धि को देखते हुए सकल कर राजस्व प्रचुरता 1.43 रहेगी जोकि 2004

से 2008 की संकट पूर्व की उच्च वृद्धि वाली अवधि के दौरान की 1.60 प्रचुरता की तुलना में कम है। तथापि व्यक्तिगत आय कर से राजस्व की उल्लेखनीय हानि होने का अनुमान है जिसके संबंध में बजट में इस हानि की भरपाई परोक्ष करों में दी गई छूट की आंशिक पुनःबहाली से किए जाने की आशा की गई है तथा इससे राजस्व में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परोक्ष करों के प्रक्षेपित संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति आयात में वृद्धि तथा औद्योगिक वृद्धि पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगी।

IV.2 सरकारी उधार कार्यक्रम

2010-11 के दौरान भुगतान की मात्रा अधिक रहने के कारण निवल बाजार उधारियां कम रहने के बावजूद दिनांकित प्रतिभूतियों से सकल बाजार उधारियों की बजटीय राशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी। राज्यों की निवल बाजार उधारियां पिछले वर्ष के अनुरूप रहती हैं तो, एमएसएस अनवाइन्डिंग तथा ओएमओ के जरिए रिजर्व बैंक के समर्थन को छोड़कर, प्रतिभूतियों की निवल आपूर्ति 4,57,273 करोड़ रुपए की होगी, परंतु यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 24.9 प्रतिशत अधिक होगी। यदि बजट में एमएसएस बांडों के लिए किए गए 50,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के अनुसार बांड जारी किए जाते हैं तो प्रतिभूतियों की आपूर्ति में और वृद्धि होगी (सारणी 9)।

सारणी 9: दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की उधारियां

(करोड़ रुपए)				
क्रम सं.	मद	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र की सकल बाजार उधारियां	2,73,000	4,51,000	4,57,143
2.	केन्द्र की निवल बाजार उधारियां	2,28,972	3,98,411	3,45,010
3.	एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल) (एमएसएस से विमुक्त की गयी राशि सहित)	-38,773	-86,036	-2,737*
4.	ओएमओ के जरिए आरबीआइ का समर्थन	6,410	61,307	—
5.	राज्यों की संभावित निवल बाजार उधारियां	1,03,766	1,15,000	1,15,000
6.	दिनांकित प्रतिभूतियों की निवल आपूर्ति (2+3-4+5)	2,87,555	3,66,068	4,57,273

*: एमएसएस के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल नहीं है।

IV.3 मुद्रास्फीति पर प्रभाव

बजट के मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव को आपूर्ति तथा मांग दोनों पक्षों में देखा जा सकता है। आपूर्ति पक्ष में उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की दरों की आंशिक पुनःबहाली से विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी। सीमा शुल्क तथा उत्पाद कर के प्रभाव को परिलक्षित करते हुए 26 फरवरी 2010 की मध्यरात्रि से पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में क्रमशः 2.67 रुपए (5.61 प्रतिशत) तथा 2.58 रुपए (7.39 प्रतिशत) की वृद्धि होगी। पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि से खनिज तेल कीमत सूचकांक में वृद्धि होगी तथा थोक मूल्य सूचकांक पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यदि सभी गैर-पीओएल विनिर्मित उत्पादों के उत्पाद शुल्क में वृद्धि को ग्राहकों तक अंतरित किया जाता है तो थोक मूल्य सूचकांक पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। पुनः इन उपायों से मध्यावधि में विस्तारित प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र को दी गयी कर संबंधी कई छूटों तथा सब्सिडियों से खाद्यवस्तुओं की कीमतों में कमी आने के साथ-साथ समन्य मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है।

मांग पक्ष में, नरेगा के लिए आबंटित उच्चतर निधि से ग्रामीण मांग में वृद्धि हो सकती है। आय कर में दी गई छूट से परिवारों के व्यवहार्य आय में वृद्धि होने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उपभोग में भी वृद्धि हो सकती है।

IV.4 वित्तीय क्षेत्र सुधार: प्रस्ताव तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए निहितार्थ

IV.4(क) वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी)

वित्त मंत्री के बजट वक्तव्य में इंगित किए गए अनुसार एफएसडीसी की अवधारणा एक ऐसे उच्चस्तरीय निकाय से है जिसकी अध्यक्षता संभवतः वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद द्वारा वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न खंडों की आपसी

संबद्धता से उत्पन्न होने वाली प्रणालीगत जोखिम की निगरानी की ओर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है तथा यह अंतर विनियामक समन्वय से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाएगी। वर्तमान में उक्त अधिदेश का हिस्सा वित्तीय बाजारों के संबंध में उच्चस्तरीय समन्वयन समिति (एचएलसीसीएफएम) के अंतर्गत आता है। एफएसडीसी के गठन के साथ एचएलसीसीएफएम की भूमिका को द्वि-स्तरीय ढांचे के हिस्से रूप में पुनर्निर्धारित करना पड़ सकता है।

IV.4 (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनःपूँजीकरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूँजीकरण के संबंध में यह धारणा है कि भारत में बैंक अच्छी तरह पूँजीकृत हैं। बासल II मानदंड के अनुसार भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 31 मार्च 2009 को 12.32 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति औसत पूँजी अनुपात (सीआरएआर) पर्याप्त रूप से संतोषजनक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 7.6 प्रतिशत की जोखिम भारित आस्तियों के प्रति टियर I पूँजी काफी अच्छे स्तर पर है। इस प्रकार प्रणाली में कमजोरी के कारण सरकार द्वारा पूँजी डालने की जरूरत नहीं है। तथापि, इससे सरकार द्वारा न्यूनतम शेयरधारिता की बाध्यताओं के कारण विनियामक पूँजी विलेख जारी करने की सहूलियत की सीमाबद्धता को कम करने में मदद मिलेगी।

IV.4 (ग) वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार कमीशन

वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार कमीशन के गठन के प्रस्ताव से बैंकिंग कानूनों में संभावित सामंजस्य स्थापित होने तथा बैंकों के स्वामित्व में भिन्नता के बावजूद विधानों में एकरूपता आने की संभवना है। प्रारंभ में यह आशा की जाती है कि यह कमीशन बैंकिंग क्षेत्र के लिए सामान्य कानून लायेगा, वित्तीय क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुसार हाल

के कानूनों में बदलाव की जरूरतों की समीक्षा करेगा तथा अधिनियमन के विभिन्न स्तरों में लंबित वैधानिक संशोधनों की समीक्षा करेगा। तथापि कमीशन की भूमिका तथा कार्यों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों को सुलझाना होगा:

- कमीशन के जरिए विधानों में परिवर्तनों के बाद सुधार की प्रक्रिया तथा उसकी दिशा के संबंध में सरकार सहित विभिन्न हितधारकों, सभी विनियामकों तथा बाजार सहभागियों के बीच नीति के संबंध में व्यापक तौर पर सहमति तथा साझी प्रतिबद्धता का होना जरूरी है।
- विधान में उल्लेखनीय परिवर्तन की आवश्यकता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे का संबंध सरकारी क्षेत्र के अभिशासन के ढांचे से है। इसके संबंध में व्यापक नीतिगत स्तर पर विचार किया जाना है तथा इसके बारे में मिश्री समिति तथा रघुराम राजन समिति ने भी सिफारिश की है।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करते हुए बनाए गए सामान्य/ एकसमान बैंकिंग कानून के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कंपनीकरण करना आवश्यक होगा जिसके चलते प्रबंधन पर सरकारी नियंत्रण के स्तर में गिरावट, स्वामित्व, तथा निगरानी के मुद्दे सामने आएंगे।
- कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनके संबंध में स्पष्ट समाधान उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कि वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचे की डिजाइन, असफल होने वाले वित्तीय संस्थाओं के समाधान फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करना, बैंक द्वारा धारित कंपनी ढांचे की व्यवहार्यता, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना आदि। इन क्षेत्रों के संबंध में समुचित विधायी परिवर्तन शुरू करने से पहले इनके बारे में स्पष्ट नीतिगत दिशा का होना आवश्यक है।

- कमीशन द्वारा अधिनियमों के पुनः लिखे जाने पर क्षेत्रगत विनियामक, मंत्रालय/विभाग की भूमिका में परिवर्तन की जरूरत पड़ सकती है। कमीशन तथा क्षेत्रगत विनियामक के बीच समन्वयन की व्यवस्था का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।

समापक टिप्पणी

2010-11 का केन्द्रीय बजट कई मायनों में अनूठा है। इसमें घाटे का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम रखकर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की ओर लौटने का प्रस्ताव किया गया है। जहां विस्तारकारी राजकोषीय नीति से विकास की रणनीति पर विकसित देशों के बीच तीव्र बहस चल रही है वहीं केन्द्रीय बजट ने परोक्ष करों में की गयी कटौती को पुनः बहाल करके राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों से विकास की शुरुआत कर दी है। सरकार ने आय कर के स्लैब को पर्याप्त कम करने का उल्लेखनीय कदम उठाया है और इस प्रक्रिया से 26,000 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धि की प्रक्रिया की बहाली को बनाये रखने के लिए मांग को बढ़ाने की यह एक रणनीति है। वित्त मंत्री ने कृषि तथा ढांचागत क्षेत्रों में व्यापक सुधार का प्रस्ताव किया है और समाज के निचले तबके के लिए किए गए सुधार के कई प्रस्तावों को देखते हुए यह समावेशी वृद्धि के महत्व को रेखांकित करता है।

बजट के विवेचित मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं: राजकोषीय समेकन की निर्भरता निरंतर चलने वाले घटकों की अपेक्षा आपातक एकबारगी वाली मदों पर रही है; राजस्व असंतुलन पर कम महत्व दिया गया है जबकि व्यय के पुनःवर्गीकरण की जरूरत है; प्रक्षेपित सब्सिडी के प्रावधान के संबंध में ऊर्ध्वमुखी जोखिम हो सकती है तथा इसके कारण लक्षित राजकोषीय घाटा संकेतक के बढ़ जाने की जोखिम है; बाजार उधारियों के आकार के चलते प्रतिलाभ की दर पर दबाव बन सकता है तथा निजी

क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में कमी आ सकती है; तथा परोक्ष करों की दरों की पुनः बहाली के कई मुद्रास्फीतिक परिणाम हैं।

वित्तीय क्षेत्र के संबंध में घोषित उपायों के भारतीय रिज़र्व बैंक पर कई निहितार्थ होंगे जो इस प्रकार हैं: स्थापित की जाने वाली वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा रिज़र्व बैंक की वित्तीय बाजारों के संबंध में उच्चस्तरीय समन्वयन समिति (एचएलसीसीएफएम)

के बीच सामंजस्य स्थापित करना; निजी क्षेत्रों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्रता मानदंडों को तैयार किया जाना तथा उसे जारी करना; कम आबादी वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार की स्थिति की निगरानी; तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हिस्से के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि, वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि तथा माइक्रो वित्त विकास इक्विटी निधि में अतिरिक्त अंशदान किया जाना।

विवरण 1: बजट एक नज़र में

(करोड़ रुपये)				
मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (i + ii)	5,40,259	6,14,497	5,77,294	6,82,212
i) कर राजस्व (केंद्र को निवल)	4,43,319	4,74,218	4,65,103	5,34,094
ii) गैर कर राजस्व	96,940	1,40,279	1,12,191	1,48,118
जिसमें से:				
ब्याज प्राप्तियां	20,717	19,174	19,212	19,252
2. पूंजीगत प्राप्तियां	3,43,697	4,06,341	4,44,253	4,26,537
जिसमें से:				
i) बाजार उधारियां	2,46,975	3,97,957	3,94,229	3,45,010
ii) ऋण की वसूलियां	6,139	4,225	4,254	5,129
iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का विनिवेश	566	1,120	25,958	40,000
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	8,83,956	10,20,838	10,21,547	11,08,749
4. राजस्व व्यय (i + ii)	7,93,798	8,97,232	9,06,355	9,58,724
i) गैर योजना	5,59,024	6,18,834	6,41,944	6,43,599
ii) योजना	2,34,774	2,78,398	2,64,411	3,15,125
5. पूंजी व्यय (i + ii)	90,158	1,23,606	1,15,192	1,50,025
i) गैर योजना	49,697	76,855	64,427	92,058
ii) योजना	40,461	46,751	50,765	57,967
6. कुल गैर योजना व्यय (4i + 5i)	6,08,721	6,95,689	7,06,371	7,35,657
जिसमें से:				
i) ब्याज भुगतान	1,92,204	2,25,511	2,19,500	2,48,664
ii) रक्षा	1,14,223	1,41,703	1,36,264	1,47,344
iii) सब्सिडी	1,29,708	1,11,276	1,31,025	1,16,224
7. कुल योजना व्यय (4ii + 5ii)	2,75,235	3,25,149	3,15,176	3,73,092
8. कुल व्यय (6+7=4+5)	8,83,956	10,20,838	10,21,547	11,08,749
9. राजस्व घाटा (4-1)	2,53,539	2,82,735	3,29,061	2,76,512
	(4.5)	(4.8)	(5.3)	(4.0)
10. सकल राजकोषीय घाटा (8-(1+2ii+2iii))	3,36,992	4,00,996	4,14,041	3,81,408
	(6.0)	(6.8)	(6.7)	(5.5)
11. सकल प्राथमिक घाटा (10-6i)	1,44,788	1,75,485	1,94,541	1,32,744
	(2.6)	(3.0)	(3.2)	(1.9)

- उच्च वृद्धि मूल्य

टिप्पणी : 1. पूंजीगत प्राप्तियां चुकौती को घटाकर हैं।

2. बाजार उधारियों में दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

स्रोत: भारत सरकार के 2010-11 के बजट दस्तावेज।

विवरण 1: बजट एक नज़र में (समाप्त)						
मद	(करोड़ रुपए)					
	घटबद्ध					
	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	6	7	8	9	10	11
1. राजस्व प्राप्ति (i+ii)	-37,203	-6.1	37,035	6.9	1,04,918	18.2
i) कर राजस्व (केंद्र को निवल)	-9,115	-1.9	21,784	4.9	68,991	14.8
ii) गैर कर राजस्व	-28,088	-20.0	15,251	15.7	35,927	32.0
जिसमें से:						
ब्याज प्राप्ति	38	0.2	-1,505	-7.3	40	0.2
2. पूंजीगत प्राप्ति	37,912	9.3	1,00,556	29.3	-17,716	-4.0
जिसमें से:						
i) बाजार उधारियां	-3,728	-0.9	1,47,254	59.6	-49,219	-12.5
ii) ऋण की वसूलियां	29	0.7	-1,885	-30.7	875	20.6
iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का विनिवेश	24,838	-	25,392	-	14,042	54.1
3. कुल प्राप्ति (1+2)	709	0.1	1,37,591	15.6	87,202	8.5
4. राजस्व व्यय (i + ii)	9,123	1.0	1,12,557	14.2	52,369	5.8
i) गैर योजना	23,110	3.7	82,920	14.8	1,655	0.3
ii) योजना	-13,987	-5.0	29,637	12.6	50,714	19.2
5. पूंजी व्यय (i + ii)	-8,414	-6.8	25,034	27.8	34,833	30.2
i) गैर योजना	-12,428	-16.2	14,730	29.6	27,631	42.9
ii) योजना	4,014	8.6	10,304	25.5	7,202	14.2
6. कुल गैर योजना व्यय (4i + 5i)	10,682	1.5	97,650	16.0	29,286	4.1
जिसमें से:						
i) ब्याज भुगतान	-6,011	-2.7	27,296	14.2	29,164	13.3
ii) रक्षा	-5,439	-3.8	22,041	19.3	11,080	8.1
iii) सब्सिडी	19,749	17.7	1,317	1.0	-14,801	-11.3
7. कुल योजना व्यय (4ii + 5ii)	-9,973	-3.1	39,941	14.5	57,916	18.4
8. कुल व्यय (6+7=4+5)	709	0.1	1,37,591	15.6	87,202	8.5
9. राजस्व घाटा (4-1)	46,326	16.4	75,522	29.8	-52,549	-16.0
		-210.4				
10. सकल राजकोषीय घाटा (8-(1+2ii+2iii))	13,045	3.3	77,049	22.9	-32,633	-7.9
		-198.5				
11. सकल प्राथमिक घाटा (10-6i)	19,056	10.9	49,753	34.4	-61,797	-31.8

विवरण 2: राजस्व खाते पर लेनदेन

(करोड़ रुपए)				
मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. राजस्व प्राप्ति (A+B)	5,40,259	6,14,497	5,77,294	6,82,212
अ कर राजस्व (केंद्र को निवल) (क-ख-ग)	4,43,319	4,74,218	4,65,103	5,34,094
क) सकल कर राजस्व	6,05,298	6,41,079	6,33,095	7,46,651
जिसमें से:	(10.9)	(10.4)	(10.3)	(10.8)
1. निगम कर	2,13,395	2,56,725	2,55,076	3,01,331
2. वैयक्तिक आय कर	1,06,046	1,06,800	1,24,989	1,20,566
3. सीमा शुल्क	99,879	98,000	84,477	1,15,000
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,08,613	1,06,477	1,02,000	1,32,000
5. सेवा कर	60,941	65,000	58,000	68,000
6. प्रतिभूति लेनदेन कर	5,405	6,000	6,350	7,500
7. बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	585	50	82	0
8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर (स्थानीय निकायों को समनुदेशित राशि को घटाकर)	1,488	1,602	1,610	1,651
9. फ्रिज बेनिफिट टैक्स	7,977	0	0	0
10. अन्य कर और शुल्क	969	425	511	603
ख) राज्यों का हिस्सा	1,60,179	1,64,361	1,64,832	2,08,997
ग) एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार #	1,800	2,500	3,160	3,560
आ. गैर कर राजस्व	96,940	1,40,279	1,12,191	1,48,118
जिसमें से:				
1. ब्याज प्राप्ति	20,717	19,174	19,212	19,252
2. लाभांश और लाभ	38,607	49,750	51,983	51,309
3. बाह्य अनुदान	2,794	2,136	3,078	2,060
4. संघ राज्य क्षेत्रों की गैर-कर प्राप्ति	797	754	1,073	925
5. अन्य गैर-कर राजस्व	34,025	68,465	36,845	74,572
II. राजस्व व्यय (अ + आ)	7,93,798	8,97,232	9,06,355	9,58,724
अ. गैर योजना व्यय	5,59,024	6,18,834	6,41,944	6,43,599
जिसमें से:				
1. ब्याज भुगतान	1,92,204	2,25,511	2,19,500	2,48,664
2. रक्षा राजस्व व्यय	73,305	86,879	88,440	87,344
3. सब्सिडी	1,29,708	1,11,276	1,31,025	1,16,224
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गैर योजना अनुदान	38,161	48,570	46,610	46,001
आ योजना व्यय (1+2)	2,34,774	2,78,398	2,64,411	3,15,125
1. केन्द्रीय योजना	1,66,500	2,00,290	1,87,838	2,30,881
2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	68,274	78,108	76,573	84,244
III. राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) [I-II]	-2,53,539	-2,82,735	-3,29,061	-2,76,512

: एनसीसीएफ: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व हैं।

स्रोत: भारत की सरकार के 2010-11 के बजट दस्तावेज।

विवरण 2: राजस्व खाते पर लेनदेन (समाप्त)						
मद	(करोड़ रुपए)					
	घटबद्ध					
	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व प्राप्तिया (अ + आ)	-37,203	-6.1	37,035	6.9	1,04,918	18.2
अ कर राजस्व (केंद्र को निवल) (क-ख-ग)	-9,115	-1.9	21,784	4.9	68,991	14.8
क) सकल कर राजस्व	-7,984	-1.2	27,797	4.6	1,13,556	17.9
जिसमें से:						
1. निगम कर	-1,649	-0.6	41,681	19.5	46,255	18.1
2. वैयक्तिक आय कर	18,189	17.0	18,943	17.9	-4,423	-3.5
3. सीमा शुल्क	-13,523	-13.8	-15,402	-15.4	30,523	36.1
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-4,477	-4.2	-6,613	-6.1	30,000	29.4
5. सेवा कर	-7,000	-10.8	-2,941	-4.8	10,000	17.2
6. प्रतिभूति लेनदेन कर	350	5.8	945	17.5	1,150	18.1
7. बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	32	64.0	-503	-86.0	-82	-100.0
8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर (स्थानीय निकायों को समनुदेशित राशि को घटाकर)	8	0.5	122	8.2	41	2.5
9. फ्रिज बेनिफिट टैक्स	0	-	-7,977	-100.0	0	-
10. अन्य कर और शुल्क	86	20.2	-458	-47.3	92	18.0
ख) राज्यों का हिस्सा	471	0.3	4,653	2.9	44,165	26.8
ग) एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार#	660	26.4	1,360	75.6	400	12.7
आ. गैर कर राजस्व	-28,088	-20.0	15,251	15.7	35,927	32.0
जिसमें से:						
1. ब्याज प्राप्तियां	38	0.2	-1,505	-7.3	40	0.2
2. लाभांश और लाभ	2,233	4.5	13,376	34.6	-674	-1.3
3. बाह्य अनुदान	942	44.1	284	10.2	-1,018	-33.1
4. संघ राज्य क्षेत्रों की गैर-कर प्राप्तियां	319	42.3	276	34.6	-148	-13.8
5. अन्य गैर-कर राजस्व	-31,620	-46.2	2,820	8.3	37,727	102.4
II. राजस्व व्यय (अ + आ)	9,123	1.0	1,12,557	14.2	52,369	5.8
अ. गैर योजना व्यय	23,110	3.7	82,920	14.8	1,655	0.3
जिसमें से:						
1. ब्याज भुगतान	-6,011	-2.7	27,296	14.2	29,164	13.3
2. रक्षा राजस्व व्यय	1,561	1.8	15,135	20.6	-1,096	-1.2
3. सब्सिडी	19,749	17.7	1,317	1.0	-14,801	-11.3
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गैर योजना अनुदान	-1,960	-4.0	8,449	22.1	-609	-1.3
आ योजना व्यय (1+2)	-13,987	-5.0	29,637	12.6	50,714	19.2
1. केन्द्रीय योजना	-12,452	-6.2	21,338	12.8	43,043	22.9
2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	-1,535	-2.0	8,299	12.2	7,671	10.0
III. राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) [I-II]	-46,326	16.4	-75,522	29.8	52,549	-16.0

विवरण 3: पूंजीगत खाते पर लेनदेन

(करोड़ रुपए)				
मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
I. पूंजीगत प्राप्तियां (1 से 10)	3,43,697	4,06,341	4,44,253	4,26,537
1. बाजार उधारियां	2,46,975	3,97,957	3,94,229	3,45,010
2. अल्प बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियां	-1,302	13,256	13,256	13,256
3. राज्य भविष्य निधियां	8,041	5,000	8,500	7,000
4. विशेष जमा	0	0	0	0
5. आरक्षित निधियां और जमाराशियां	-13,455	598	8,762	-7,584
6. एनएसएसएफ	-4,065	-103	3,194	2,593
7. ऋण और अप्रिम की वसूली	6,139	4,225	4,254	5,129
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिता का विनिवेश	566	1,120	25,958	40,000
9. बाह्य उधारियां	11,015	16,047	16,535	22,464
10. अन्य	89,783	-31,759	-30,435	-1,331
II. पूंजीगत व्यय (1+2)	90,158	1,23,606	1,15,192	1,50,025
1. गैर योजना व्यय	49,697	76,855	64,427	92,508
जिसमें से:				
रक्षा पूंजी	40,918	54,824	47,824	60,000
2. योजना व्यय (i+ii)	40,461	46,751	50,765	57,967
i) केन्द्रीय योजना	31,660	39,550	41,326	49,719
ii) राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	8,801	7,201	9,439	8,248
III. पूंजी अधिशेष (+) / घाटा (-) [I-II]	+2,53,539	+2,82,735	+3,29,061	+2,76,512

— : उच्च वृद्धि मूल्य।

- : उपलब्ध नहीं।

नोट : 1) पूंजीगत प्राप्तियां चुकौती को घटाकर हैं।

2) बाजार उधारियों में दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

स्रोत: भारत सरकार के 2010-11 के बजट दस्तावेज।

विवरण 3: पूँजीगत खाते पर लेनदेन (समाप्त)

(करोड़ रुपए)

मद	घटबढ़					
	स्तंभ 3 की तुलना मे स्तंभ 4		स्तंभ 2 की तुलना मे स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना मे स्तंभ 5	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	6	7	8	9	10	11
I. पूँजीगत प्राप्तियां (1 से 10)	37,912	9.3	1,00,556	29.3	-17,716	-4.0
1. बाजार उधारियां	-3,728	-0.9	1,47,254	59.6	-49,219	-12.5
2. अल्प बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियां	0	-	14,558	-1,118.1	0	-
3. राज्य भविष्य निधियां	3,500	70.0	459	5.7	-1,500	-17.6
4. विशेष जमा	0	-	0	-	0	-
5. आरक्षित निधियां और जमाराशियां	8,164	-	22,217	-165.1	-16,346	-186.6
6. एनएसएसएफ	3,297	-	7,259	-178.6	-601	-18.8
7. ऋण और अग्रिम की वसूली	29	0.7	-1,885	-30.7	875	20.6
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धरिता का विनिवेश	24,838	-	25,392	4,486.2	14,042	54.1
9. बाह्य उधारियां	488	3.0	5,520	50.1	5,929	35.9
10. अन्य	1,324	-4.2	-1,20,218	-133.9	29,104	-95.6
II. पूँजीगत व्यय (1+2)	-8,414	-6.8	25,034	27.8	34,833	30.2
1. गैर योजना व्यय	-12,428	-16.2	14,730	29.6	28,081	43.6
जिसमें से:						
रक्षा पूँजी	-7,000	-12.8	6,906	16.9	12,176	25.5
2. योजना व्यय (i+ii)	4,014	8.6	10,304	25.5	7,202	14.2
i) केन्द्रीय योजना	1,776	4.5	9,666	30.5	8,393	20.3
ii) राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	2,238	31.1	638	7.2	-1,191	-12.6
III. पूँजी अधिशेष (+) / घाटा (-) [I-II]	46,326	16.4	75,522	29.8	-52,549	-16.0

विवरण 4: केन्द्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक वित्त				बाह्य वित्त	कुल वित्त / सकल राजकोषीय घाटा (5+6)
	बाजार उधारियां #	अन्य उधारियां @	नकदी शेष का आहरण *	कुल (2+3+4)		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	8.001 (17.9)	22.103 (49.5)	11.347 (25.4)	41.451 (92.9)	3.181 (7.1)	44.632 (100.0)
1991-92	7.510 (20.7)	16.539 (45.5)	6.855 (18.9)	30.904 (85.1)	5.421 (14.9)	36.325 (100.0)
1992-93	3.676 (9.2)	18.866 (47.0)	12.312 (30.6)	34.854 (86.8)	5.319 (13.2)	40.173 (100.0)
1993-94	28.928 (48.0)	15.295 (25.4)	10.960 (18.2)	55.183 (91.6)	5.074 (8.4)	60.257 (100.0)
1994-95	20.326 (35.2)	32.834 (56.9)	961 (1.7)	54.121 (93.8)	3.582 (6.2)	57.703 (100.0)
1995-96	34.001 (56.4)	16.117 (26.8)	9.807 (16.3)	59.925 (99.5)	318 (0.5)	60.243 (100.0)
1996-97	19.093 (28.6)	31.469 (47.2)	13.184 (19.8)	63.746 (95.5)	2.987 (4.5)	66.733 (100.0)
1997-98	32.499 (36.5)	56.257 (63.3)	-910 (-1.0)	87.846 (98.8)	1.091 (1.2)	88.937 (100.0)
1998-99	68.988 (60.9)	42.650 (37.6)	-209 (-0.2)	1,11,429 (98.3)	1,920 (1.7)	1,13,349 (100.0)
1999-2000	62.076 (59.3)	40.597 (38.8)	864 (0.8)	1,03,537 (98.9)	1,180 (1.1)	1,04,717 (100.0)
2000-01	73.431 (61.8)	39,077 (32.9)	-1,197 (-1.0)	1,11,311 (93.7)	7,505 (6.3)	1,18,816 (100.0)
2001-02	90.812 (64.4)	46,038 (32.7)	-1,496 (-1.1)	1,35,354 (96.0)	5,601 (4.0)	1,40,955 (100.0)
2002-03	1,04,126 (71.8)	50,997 (35.2)	1,883 (1.3)	1,57,006 (108.2)	-11,934 (-8.2)	1,45,072 (100.0)
2003-04	88,870 (72.1)	51,833 (42.0)	-3,942 (-3.2)	1,36,761 (110.9)	-13,488 (-10.9)	1,23,273 (100.0)
2004-05	50,940 & (40.5)	68,231 (54.2)	-8,130 (-6.5)	1,11,041 (88.3)	14,753 (11.7)	1,25,794 (100.0)
2005-06	1,06,241 & (72.6)	53,610 (36.6)	-20,888 (-14.3)	1,38,963 (94.9)	7,472 (5.1)	1,46,435 (100.0)
2006-07	1,14,801 & (80.5)	14,782 (10.4)	4,518 (3.2)	1,34,101 (94.1)	8,472 (5.9)	1,42,573 (100.0)
2007-08	1,30,600 & (102.9)	-39,597 (-31.2)	26,594 (21.0)	1,17,597 (92.7)	9,315 (7.3)	1,26,912 (100.0)
2008-09	2,46,975 & (73.3)	26,406 (7.8)	52,596 (15.6)	3,25,977 (96.7)	11,015 (3.3)	3,36,992 (100.0)
2009-10 (संअ)	3,94,229 & (95.2)	8,858 (2.1)	-5,581 (-1.3)	3,97,506 (96.0)	16,535 (4.0)	4,14,041 (100.0)
2010-11 (बअ)	3,45,010 & (90.5)	13,934 (3.7)	0 (0.0)	3,58,944 (94.1)	22,464 (5.9)	3,81,408 (100.0)

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान।

: दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

@ : अन्य उधार में अल्प बचत, राज्य भविष्य निधि, विशेष जमा, आरक्षित निधि आदि शामिल हैं। वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिए, अल्प बचत और लोक भविष्य निधि का प्रतिनिधित्व केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय बचत कोष (एनएसएसएफ) के निवेश द्वारा किया जा रहा है, अतः वे केन्द्र के आंतरिक ऋण का हिस्सा हैं।

* : 1997-98 से पहले, रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष में शुद्ध बदलाव को छोड़कर जारी किए गए 91 दिवसीय खजाना बिलों में घटबढ़ का प्रतिनिधित्व करता है।

& : बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत जुटायी राशि को छोड़कर।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े कुल वित्त का प्रतिशत (सकल राजकोषीय घाटा) दर्शाते हैं।

स्रोत: केन्द्र सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 5: केन्द्रीय योजना परिव्यय - विकास शीर्षों के अनुसार

(करोड़ रुपए)

मद	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़			
				स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 3		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि	10,629 (2.4)	10,123 (2.4)	12,308 (2.3)	-506	-4.8	2,185	21.6
2. ग्रामीण विकास*	51,769 (11.6)	51,560 (12.1)	55,190 (10.5)	-209	-0.4	3,630	7.0
3. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	439 (0.1)	404 (0.1)	526 (0.1)	-35	-8.0	122	30.2
4. ऊर्जा जिसमें से:	1,15,574 (25.8)	1,09,685 (25.8)	1,46,579 (27.9)	-5,889	-5.1	36,894	33.6
क) पावर	56,956 (12.7)	49,094 (11.5)	66,097 (12.6)	-7,862	-13.8	17,003	34.6
ख) पेट्रोलियम	53,043 (11.8)	54,780 (12.9)	66,807 (12.7)	1,737	3.3	12,027	22.0
5. उद्योग और खनिज	35,740 (8.0)	30,694 (7.2)	39,019 (7.4)	-5,046	-14.1	8,325	27.1
6. परिवहन **	94,306 (21.1)	88,948 (20.9)	1,01,997 (19.4)	-5,358	-5.7	13,049	14.7
7. संचार	16,731 (3.7)	16,099 (3.8)	18,529 (3.5)	-632	-3.8	2,430	15.1
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	11,207 (2.5)	9,908 (2.3)	13,677 (2.6)	-1,299	-11.6	3,769	38.0
9. सामाजिक सेवाएं #	1,03,856 (23.2)	1,01,370 (23.8)	1,27,570 (24.3)	-2,486	-2.4	26,200	25.8
10. अन्य	7,670 (1.7)	6,799 (1.6)	9,089 (1.7)	-871	-11.4	2,290	33.7
कुल (1 से 10)	4,47,921 (100.0)	4,25,590 (100.0)	5,24,484 (100.0)	-22,331	-5.0	98,894	23.2
<i>निम्नलिखित के द्वारा वित्तपोषण किया जाना है:</i>							
1. बजटीय सहायता	2,39,840 (53.5)	2,29,163 (53.8)	2,80,600 (53.5)	-10,677	-4.5	51,437	22.4
2. सार्वजनिक सामाजिक उद्यमों के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईबीआर), आदि	2,08,081 (46.5)	1,96,427 (46.2)	2,43,884 (46.5)	-11,654	-5.6	47,457	24.2

* : ग्रामीण आवास के लिए प्रावधान शामिल है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है।

** : ग्रामीण सड़कों के लिए प्रावधान शामिल है।

: ग्रामीण आवास के लिए प्रावधान शामिल नहीं है।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: भारत सरकार के 2010-11 के बजट दस्तावेज।

विवरण 6: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित संसाधन

(करोड़ रुपए)

मद	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घटबढ़			
				स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 3		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	1,64,361	1,64,832	2,08,997	471	0.3	44,165	26.8
आ. कुल अनुदान (i+ii)	1,46,337	1,42,582	1,56,649	-3,755	-2.6	14,067	9.9
i) योजना	97,767	95,972	1,10,648	-1,795	-1.8	14,676	15.3
ii) गैर योजना	48,570	46,610	46,001	-1,960	-4.0	-609	-1.3
इ. कुल गैर योजना ऋण *	89	88	89	-1	-1.1	1	1.1
ई. योजना ऋण (i+ii)	5,625	7,825	7,163	2,200	39.1	-662	-8.5
i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	5,625	7,825	7,163	2,200	39.1	-662	-8.5
ii) केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्कीमों के लिए सहायता	0	0	0	0	-	0	-
उ. सकल अंतरण (अ से ई)	3,16,412	3,15,327	3,72,898	-1,085	-0.3	57,571	18.3
ऊ. ऋण और अग्रिम की वसूली	2,661	2,816	3,924	155	5.8	1,108	39.3
ओ. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अंतरित निवल संसाधन (उ-ऊ)	3,13,751	3,12,511	3,68,974	-1,240	-0.4	56,463	18.1

* : अल्पकालिक ऋण और अग्रिम की वसूली को घटाकर।

स्रोत: भारत सरकार के 2010-11 के बजट दस्तावेज।

विवरण 7: केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपए)

मद	1990-91 (लेखा)	2000-2001 (लेखा)	2001-2002 (लेखा)	2002-2003 (लेखा)	2003-2004 (लेखा)	2004-05 (लेखा)
1	2	3	4	5	6	7
I. आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान	9,814	57,605	66,035	75,176	82,620	86,380
जिसमें से:						
i) बाजार ऋणों पर*	6,366	46,214	55,024	62,559	68,765	69,852
ii) खजाना बिलों पर**	3,392	6,395	6,453	6,151	3,542	2,165
iii) विशेष प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन में जारी विपणनयोग्य प्रतिभूतियों पर	—	2,399	2,399	3,067	6,263	7,753
II. बाह्य ऋण पर ब्याज	1,834	4,413	4,285	4,252	3,139	2,808
III. अल्प बचत जमा, प्रमाण पत्र और पीपीएफ पर ब्याज @	4,128	21,477	22,471	23,379	20,503	18,950
IV. राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	885	3,879	3,794	3,913	3,733	4,425
V. गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा आदि पर ब्याज	3,876	12,575	14,259	13,625	13,161	12,892
VI. आरक्षित निधियों पर ब्याज	112	161	129	229	352	541
VII. अन्य दायित्वों पर ब्याज	325	854	567	1,214	1,400	1,592
VIII. अन्य #	524	2,260	2,633	3,099	7,286	654
कुल ब्याज भुगतान (I से VIII)	21,498	1,03,224	1,14,173	1,24,887	1,32,194	1,30,958

* : दिनांकित प्रतिभूतियां दर्शाते हैं।

** : खजाना बिलों के संपरिवर्तन में भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

@ : 1999-2000 से, इस प्रकार के भुगतान आंतरिक ऋण का हिस्सा हैं।

: अन्य बातों के साथ, बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज, फील्ड जमाराशियों पर बोनस तथा अन्य जमाराशियों और खातों पर ब्याज शामिल है।

नोट : 1. आंकड़े वित्त लेखा और व्यय बजट खंड 2 से लिए गए हैं तथा हो सकता है कि ब्याज भुगतान के कुल आंकड़े कुछ साल के लिए अन्यत्र प्रस्तुत आंकड़ों के साथ मेल न खाएं।

2. 1999-2000 से, अल्प बचत पर ब्याज एनएसएसएफ को जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दर्शाते हैं।

स्रोत: भारत सरकार के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज।

विवरण 7: केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज भुगतान (समाप्त)

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	8	9	10	11	12	13
I. आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान	85,533	1,07,294	1,46,801	1,37,454	1,59,099	1,87,683
जिसमें से:						
i) बाजार ऋणों पर*	66,500	84,146	96,215	99,821	1,36,199	1,64,837
ii) खजाना बिलों पर**	3,990	5,740	7,701	11,245	9,694	13,049
iii) विशेष प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन में जारी विपणनयोग्य प्रतिभूतियों पर	7,066	5,715	6,198	5,533	5,286	4,856
II. बाह्य ऋण पर ब्याज	3,173	3,867	3,928	4,159	3,686	3,746
III. अल्प बचत जमा, प्रमाण पत्र और पीपीएफ पर ब्याज @	18,029	18,106	17,301	17,311	17,017	16,976
IV. राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	4,950	5,044	5,190	6,057	6,383	6,626
V. गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा आदि पर ब्याज	12,874	12,448	12,235	11,188	11,232	10,683
VI. आरक्षित निधियों पर ब्याज	717	883	1,225	1,249	726	405
VII. अन्य दायित्वों पर ब्याज	1,345	2,451	5,750	8,867	15,168	15,660
VIII. अन्य #	3,411	179	-21,400	6,409	6,189	6,885
कुल ब्याज भुगतान (I से VIII)	1,30,032	1,50,272	1,71,030	1,92,694	2,19,500	2,48,664

विवरण 8: केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष (मार्च को समाप्त)	आंतरिक ऋण	जिसमें से: बाजार ऋण	अल्प बचत, जमा और भविष्य निधि	अन्य लेखे+	आरक्षित निधि और जमा++	कुल देशी देयताएं (2+4+5+6)	बाह्य देयताएं*	कुल देयताएं (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990-91	1,54,004 (27.0)	70,520 (12.4)	61,771 (10.8)	45,336 (8.0)	21,922 (3.8)	2,83,033 (49.7)	31,525 (5.5)	3,14,558 (55.2)
1991-92	1,72,750 (26.4)	78,023 (11.9)	69,682 (10.6)	51,818 (7.9)	23,464 (3.6)	3,17,714 (48.5)	36,948 (5.6)	3,54,662 (54.2)
1992-93	1,99,100 (26.5)	81,693 (10.9)	77,005 (10.2)	59,797 (7.9)	23,753 (3.2)	3,59,655 (47.8)	42,269 (5.6)	4,01,924 (53.4)
1993-94	2,45,712 (28.4)	1,10,611 (12.8)	87,877 (10.1)	72,477 (8.4)	24,556 (2.8)	4,30,622 (49.7)	47,345 (5.5)	4,77,967 (55.2)
1994-95	2,66,467 (26.2)	1,30,908 (12.9)	1,06,435 (10.5)	85,787 (8.4)	28,993 (2.9)	4,87,682 (48.0)	50,929 (5.0)	5,38,611 (53.0)
1995-96	3,07,869 (25.8)	1,63,986 (13.8)	1,21,425 (10.2)	92,010 (7.7)	33,680 (2.8)	5,54,984 (46.6)	51,249 (4.3)	6,06,233 (50.9)
1996-97	3,44,476 (25.0)	1,84,100 (13.4)	1,38,955 (10.1)	1,00,088 (7.3)	37,919 (2.8)	6,21,437 (45.1)	54,239 (3.9)	6,75,676 (49.0)
1997-98	3,88,998 (25.5)	2,16,598 (14.2)	1,67,780 (11.0)	1,24,087 (8.1)	42,097 (2.8)	7,22,962 (47.3)	55,332 (3.6)	7,78,294 (51.0)
1998-99	4,59,696 (26.3)	2,85,585 (16.3)	2,06,458 (11.8)	1,26,802 (7.2)	41,595 (2.4)	8,34,552 (47.7)	57,254 (3.3)	8,91,806 (50.9)
1999-2000	7,14,254 # (36.6)	3,55,862 (18.2)	66,406 # (3.4)	1,34,425 (6.9)	47,508 (2.4)	9,62,592 (49.3)	58,437 (3.0)	10,21,029 (52.3)
2000-01	8,03,698 (38.2)	4,28,793 (20.4)	96,344 (4.6)	1,44,020 (6.9)	58,535 (2.8)	11,02,597 (52.4)	65,945 (3.1)	11,68,542 (55.6)
2001-02	9,13,061 (40.1)	5,16,517 (22.7)	1,44,511 (6.3)	1,64,157 (7.2)	73,133 (3.2)	12,94,862 (56.8)	71,546 (3.1)	13,66,408 (60.0)
2002-03	10,20,689 (41.6)	6,19,105 (25.2)	2,26,400 (9.2)	1,72,374 (7.0)	80,126 (3.3)	14,99,589 (61.1)	59,612 (2.4)	15,59,201 (63.5)
2003-04	11,41,706 (41.4)	7,07,965 (25.7)	2,88,378 (10.5)	1,68,094 (6.1)	92,376 (3.4)	16,90,554 (61.4)	46,124 (1.7)	17,36,678 (63.0)
2004-05	12,75,971 & (39.4)	7,58,995 (23.4)	3,90,477 (12.1)	1,74,107 (5.4)	92,989 (2.9)	19,33,544 (59.7)	60,878 (1.9)	19,94,422 (61.6)
2005-06	13,89,758 & (37.5)	8,62,370 (23.3)	4,79,761 (12.9)	1,86,921 (5.0)	1,09,462 (3.0)	21,65,902 (58.4)	94,243 (2.5)	22,60,145 (61.0)
2006-07	15,44,975 & (36.1)	9,72,801 (22.7)	5,39,450 (12.6)	2,20,160 (5.1)	1,31,295 (3.1)	24,35,880 (56.9)	1,02,716 (2.4)	25,38,596 (59.3)
2007-08	18,08,359 & (36.5)	10,92,468 (22.1)	5,53,620 (11.2)	2,36,373 (4.8)	1,27,043 (2.6)	27,25,395 (55.1)	1,12,031 (2.3)	28,37,426 (57.3)
2008-09	20,28,549 & (36.4)	13,26,094 (23.8)	5,53,518 (9.9)	3,25,383 (5.8)	1,28,682 (2.3)	30,36,132 (54.5)	1,23,046 (2.2)	31,59,178 (56.7)
2009-10 (संअ)	23,37,682 & (37.9)	17,34,505 (28.1)	5,65,212 (9.2)	3,35,988 (5.5)	1,37,443 (2.2)	33,76,325 (54.8)	1,39,581 (2.3)	35,15,906 (57.0)
2010-11 (बअ)	27,36,754 & (39.5)	20,79,535 (30.0)	5,74,804 (8.3)	3,41,136 (4.9)	1,29,859 (1.9)	37,82,553 (54.5)	1,62,045 (2.3)	39,44,598 (56.9)

संअ: संशोधित अनुमान

बअ: बजट अनुमान

+ : मुख्य रूप से डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि, अनिवार्य जमा और आय कर वार्षिकी जमा के तहत उधार, गैर सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा शामिल हैं।

++ : रेलवे तथा डाक विभाग और दूरसंचार विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि, स्थानीय निधियों की जमा राशियां, विभागीय और न्यायिक जमा, सिविल जमा, आदि शामिल हैं।

* : ऐतिहासिक विनिमय दर पर।

: 1999-2000 में आंतरिक ऋण में हुई तीव्र वृद्धि तथा अल्प बचत और भविष्य निधि में तदनु रूप गिरावट 1,80,273 करोड़ रुपये की अन्य देनदारियों (अल्प बचत, जमा और सार्वजनिक भविष्य निधि) के केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में संपरिवर्तन का परिणाम है। 1999-2000 से, अल्प बचत राशियां केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ संबंधी निवेश को छोड़कर राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत मौजूद देयताओं को दर्शाती हैं।

& : बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत जुटायी गयी राशि शामिल।

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 9: प्रमुख राजकोषीय संकेतक						
(करोड़ रुपए)						
मद	2001-2002 (लेखा)	2002-03 (लेखा)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (लेखा)
1	2	3	4	5	6	7
1. सकल राजकोषीय घाटा	1.40,955 (6.2)	1.45,072 (5.9)	1.23,273 (4.5)	1.25,794 (3.9)	1.46,435 (4.0)	1.42,573 (3.3)
2. राजस्व घाटा	1.00,162 (4.4)	1,07,879 (4.4)	98,261 (3.6)	78,338 (2.4)	92,300 (2.5)	80,222 (1.9)
3. केंद्र को शुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	-5.150 (-0.2)	-28,399 (-1.2)	-76,065 (-2.8)	-60,177 (-1.9)	28,417 (0.8)	-3,024 (-0.1)
4. सकल प्राथमिक घाटा	33,495 (1.5)	27,268 (1.1)	-815 (0.0)	-1,140 (0.0)	13,805 (0.4)	-7,699 (-0.2)
5. सब्सिडी	31,210 (1.4)	43,533 (1.8)	44,323 (1.6)	45,957 (1.4)	47,522 (1.3)	57,125 (1.3)
जिसमें से:						
i) खाद्य	17,499 (0.8)	24,176 (1.0)	25,181 (0.9)	25,798 (0.8)	23,077 (0.6)	24,014 (0.6)
ii) उर्वरक	12,595 (0.6)	11,015 (0.4)	11,847 (0.4)	15,879 (0.5)	18,460 (0.5)	26,222 (0.6)
iii) पेट्रोलियम	..	5,225 (0.2)	6,351 (0.2)	2,956 (0.1)	2,683 (0.1)	2,699 (0.1)
6. रक्षा व्यय	54,266 (2.4)	55,662 (2.3)	60,066 (2.2)	75,856 (2.3)	80,549 (2.2)	85,510 (2.0)
7. ब्याज भुगतान	1,07,460 (4.7)	1,17,804 (4.8)	1,24,088 (4.5)	1,26,934 (3.9)	1,32,630 (3.6)	1,50,272 (3.5)
8. कुल गैर योजना व्यय	2,61,116 (11.5)	3,01,778 (12.3)	3,48,923 (12.7)	3,65,960 (11.3)	3,65,100 (9.9)	4,13,527 (9.7)
9. सार्वजनिक उद्यमों के लिए बजटीय सहायता *	13,488 (0.6)	15,232 (0.6)	15,982 (0.6)	17,005 (0.5)	17,362 (0.5)	20,635 (0.5)
10. ब्याज प्राप्ति	35,538 (1.6)	37,622 (1.5)	38,538 (1.4)	32,387 (1.0)	22,032 (0.6)	22,524 (0.5)
11. राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	53.4	51.0	47.0	41.5	38.2	34.6
12. सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	71.1	74.4	79.7	62.3	63.0	56.3
13. सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	-3.7	-19.6	-61.7	-47.8	19.4	-2.1

.. : उपलब्ध / लागू नहीं है।
* : आंकड़े 2008-09 से पहले के वर्षों के संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
नोट: कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।
स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 9: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (समाप्त)

मद	(करोड़ रुपए)				
	2007-08 (लेखा)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	8	9	10	11	12
1. सकल राजकोषीय घाटा	1,26,912 (2.6)	3,36,992 (6.0)	4,00,996 (6.5)	4,14,041 (6.7)	3,81,408 (5.5)
2. राजस्व घाटा	52,569 (1.1)	2,53,539 (4.5)	2,82,735 (4.6)	3,29,061 (5.3)	2,76,512 (4.0)
3. केंद्र को शुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	-1,16,772 (-2.4)	61,580 (1.1)
4. सकल प्राथमिक घाटा	-44,118 (-0.9)	1,44,788 (2.6)	1,75,485 (2.8)	1,94,541 (3.2)	1,32,744 (1.9)
5. सब्सिडी	70,926 (1.4)	1,29,708 (2.3)	1,11,276 (1.8)	1,31,025 (2.1)	1,16,224 (1.7)
of which :					
i) खाद्य	31,328 (0.6)	43,751 (0.8)	52,490 (0.9)	56,002 (0.9)	55,578 (0.8)
ii) उर्वरक	32,490 (0.7)	76,603 (1.4)	49,980 (0.8)	52,980 (0.9)	49,981 (0.7)
iii) पेट्रोलियम	2,820 (0.1)	2,852 (0.1)	3,109 (0.1)	14,954 (0.2)	3,108 (0.0)
6. रक्षा व्यय	91,681 (1.9)	1,14,223 (2.0)	1,41,703 (2.3)	1,36,264 (2.2)	1,47,344 (2.1)
7. ब्याज भुगतान	1,71,030 (3.5)	1,92,204 (3.4)	2,25,511 (3.7)	2,19,500 (3.6)	2,48,664 (3.6)
8. कुल गैर योजना व्यय	5,07,589 (10.3)	6,08,721 (10.9)	6,95,689 (11.3)	7,06,371 (11.5)	7,35,657 (10.6)
9. सार्वजनिक उद्यमों के लिए बजटीय सहायता *	19,636 (0.4)	23,553 (0.4)	28,575 (0.5)	31,858 (0.5)	34,750 (0.5)
10. ब्याज प्राप्ति	21,060 (0.4)	20,717 (0.4)	19,174 (0.3)	19,212 (0.3)	19,252 (0.3)
11. राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	31.6	35.6	36.7	38.0	36.4
12. सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	41.4	75.2	70.5	79.5	72.5
13. सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	-92.0	18.3	-	-	-